मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ४० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"४१	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर	प्रेस्टीज एज्यूकेशन फाउन्डेशन, इन्दौर	कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	प्रेस्टीज विश्वविद्यालय ग्राम- रिंगनोदिया, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४२	शुभम् विश्वविद्यालय, भोपाल	साईंनाथ एज्यूकेशनल ट्रस्ट, आगरा (उ.प्र.)	भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	शुभम् विश्वविद्यालय, सेमरा सैयद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४३	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी	लक्ष्मण सेठ एज्यूकेशन फाउन्डेशन, झांसी (उ.प्र.)	कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी	डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम-दिनारा, तहसील-करेरा, जिला-शिवपुरी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४४	एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री आस्था फाउण्डेशन फॉर एज्यूकेशन सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	एल.एन.सी.टी. केम्पस, ग्राम-कनाड़िया, कनाड़िया रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४५	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास	अमलतास एज्यूकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, देवास-उज्जैन स्टेट हाइवे, बांगर, जिला देवास	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
४६	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर	ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	आर्यावर्त विश्वविद्यालय, नेशनल हाइवे-४६, ग्राम झारखेडा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४७	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर	विक्रांत एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, ग्वालियर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्राम-रतवई, चितोरा रोड, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४८	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर	ज्ञानवीर सेवा समिति, सागर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, ग्राम मारा इमलिया, पी.एच.-२०, खण्ड राहतगढ़, जिला सागर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक २ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इन्दौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, (अब परिवर्तित नाम शुभम् विश्वविद्यालय, भोपाल है), डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी तथा एल. एन. सी. टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय-पत्र जारी कर दिये हैं. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२, (क्रमांक २ सन् २०२२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त समान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, अमलतास विश्वविद्यालय, देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय, सीहोर, विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर और ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर के नाम से चार अन्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम उपांतरण के साथ लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १३ सितम्बर, २०२२

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में उपबंधित प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय, भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय, शिवपुरी, एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिये थे. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२२, (क्रमांक २ सन् २०२२) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

धारा - १ से ४३ * * * * *

अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

अनु-क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, गुना.	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली.	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल.	ऑल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमीटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, ग्वालियर.	समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश